राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की फाइल बनी 'फुटबॉल' !

- पत्र दिल्ली नहीं पहुंचा, गुजरने वाला है साल
- टीम के खिलाड़ियों को आयोजन का इंतजार
- नकद पुरस्कार के साथ मिलती है विजेता को गोल्ड ट्रॉफी

नवभारत न्यूज

उज्जैन. अटल खेल मेले में शामिल हो चुकी प्रतिष्ठित कैप्टन रूप सिंह हॉकी गोल्ड प्रतियोगिता इस बार संकट के दौर से गुजर रही हैं. जनवरी में प्रस्तावित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर अब तक राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन, दिल्ली से आवश्यक अनुमति नहीं मिल पाई है. अनुमति से संबंधित फाइल नगर निगम स्तर पर ही अटकी हुई है, जिससे पूरा आयोजन असमंजस की स्थिति में आ गया है.

उज्जैन नगर निगम द्वारा करीब 45 वर्ष पूर्व कैप्टन रूप सिंह हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी. समय-समय पर यह आयोजन उज्जैन की पहचान बना और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा। वर्ष 2016 में इसे अटल खेल मेले में भी शामिल किया गया था. तत्कालीन सभापति सोनू गेहलोत के कार्यकाल में लुप्त होते इस खेल को फिर से जीवंत करने का प्रयास किया गया.

सीएम के गृह नगर का होगा नाम रोशन-अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में एक बार फिर इस प्रतियोगिता को भव्य स्तर पर आयोजित करने की योजना बनाई गई थी. यदि आयोजन बगैर किसी बाधा के संपन्न होता है तो एक बार फिर शहर का नाम रोशन होगा और कई खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

25 लाख का बजट पास-नगर निगम ये प्रतियोगिता लगभग 14 जनवरी के आसपास करवाना चाहता है, इसके लिए निगम बजट में प्रावधान भी किया जा चुका है और करीब 25 लाख रुपये खर्च के अनुमान है. बावजूद इसके, ऑल इंडिया हॉकी फेडरेशन से अनुमति मांगे जाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है. अनुमति मिलने के बाद ही मैदान की तैयारी, टीमों का चयन, रेफरी और अधिकारियों की नियुक्ति सहित अन्य व्यवस्थाएं संभव हो पाएंगी.

देशभर से आएंगी हॉकी टीम -इस प्रतियोगिता में देशभर से खिलाड़ी, रेफरी और हॉकी से जुड़े अधिकारी उज्जैन पहुंचते हैं. नगर निगम द्वारा खिलाड़ियों और अधिकारियों के ठहरने, भोजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं. विजेता टीम को गोल्ड ट्रॉफी के साथ नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है. प्रतियोगिता का आयोजन क्षीरसागर स्टेडियम में प्रस्तावित है,

टैगोर बोले संतोष रखो

बताया जा रहा है कि अनुमति से संबंधित फाइल इस समय अपर आयुक्त संतोष टैगोर के पास है, जो आगे आयुक्त के माध्यम से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन को भेजी जानी है. वहीं यह तय होना है कि कौन-कौन सी टीमें आएंगी, खिलाड़ी कौन होंगे और प्रतियोगिता का पूरा स्वरूप क्या रहेगा. इस पूरी प्रक्रिया में देरी के चलते आयोजन पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं.

20 दिन पहले आयोजन की घोषणा

नवभारत को मिली जानकारी के अनुसार महापौर मुकेश टटवाल ने 20 दिन से अधिक समय पहले ही आयोजन समिति का गठन कर प्रतियोगिता की घोषणा कर दी थी. यदि किसी कारणवश आयोजन नहीं हो पाता है, तो इससे प्रतिभावान खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलने से वंचित होना पड़ेगा. उज्जैन सहित अन्य स्थानों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं.

नगदी के साथ गोल्ड ट्रॉफी-प्रस्तावित रूप से करीब 16 टीमें उज्जैन पहुंच सकती हैं। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों के बाद विजेता टीम को गोल्ड ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिया जाना है। फिलहाल सवाल यही है कि जिम्मेदार अधिकारी फाइल को कब आगे बढ़ाते हैं, राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन से कब अनुमति मिलती है और प्रतियोगिता तय समय पर हो पाती है या नहीं। तब तक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पशोपेश में हैं और कैप्टन रूप सिंह हॉकी गोल्ड प्रतियोगिता पर संकट के बादल छाए हुए हैं।

हनीट्रैप मामले में फरार आरोपी परिधि नामदेव गिरफ्तार

- सरेंडर से पहले पुलिस ने रास्ते में दबोचा, 28 दिसंबर तक रिमांड

जितेंद्र पुरोहित

देवास. हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के एक चर्चित मामले में लंबे समय से फरार चल रही शातिर आरोपी परिधि नामदेव को नाहर दरवाजा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी न्यायालय में आत्मसमर्पण करने जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को सूचना मिल गई और उसे रास्ते में धरदबोच लिया गया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 28 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है. फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है. गौरतलब है कि ग्राम राजौदा निवासी भावेश पिता राजेंद्र सिंह ठाकुर ने नाहर दरवाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह परिधि नामदेव का ड्राइवर है. परिधि को जब यह जानकारी मिली कि भावेश के पास भोपाल रोड स्थित ग्राम जेतपुरा के पास बेशकीमती जमीन है, तो उसने उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया. आरोप है कि इसके बाद परिधि ने भावेश पर जमीन पर कॉलोनी काटने का दबाव बनाया. इंकार करने पर उसे अश्लील बातचीत और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपये तथा जमीन में आधा हिस्सा देने की मांग की गई.

अपहरण की कोशिश का भी आरोप-शिकायत में यह भी उल्लेख है कि परिधि ने अपने साथियों के साथ मिलकर भावेश को अगवा करने का प्रयास किया. समय रहते जानकारी मिलने पर भावेश के पिता ने पुलिस से संपर्क किया, जिससे एक बड़ी घटना टल गई. पुलिस ने जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (6) के तहत प्रकरण दर्ज किया था.

पूर्व में भी कई मामलों में रही है आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया है कि परिधि नामदेव पूर्व में भी इसी तरह के मामलों में संलिप्त रही है. वर्ष 2020 में देवास की एक कॉलोनी से जुड़े इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाकर प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें बाद में समझौते की बात सामने आई. वहीं 2022 में एक कॉलोनाइजर के खिलाफ भी हनीट्रैप का मामला दर्ज हुआ था, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है.

पुलिस को और खुलासों की उम्मीद

थाना प्रभारी मंजू यादव ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क, सहयोगियों तथा पूर्व मामलों से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है. पुलिस को पूछताछ में और अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है.

सतवास बवाल के बाद मारपीट और हवाई फायर पति-पत्नी पर गंभीर धाराओं में एफआईआर

देवास. सतवास में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान संतोष सोनी ओर उनकी पत्नी ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी जिसमे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए थे. घटना के बाद लोगों ने थाने का घेराव कर तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग की थी. दिनभर चले बवाल के बाद देर शाम हुई मारपीट और हवाई फायर की घटना में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है. सतवास थाना पुलिस ने नारायण सोनी और उनकी पत्नी रानी सोनी को नामजद करते हुए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है.

पुलिस के अनुसार फरियादी निखिल राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 दिसंबर की शाम नारायण सोनी ने उनके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी. शिकायत में यह भी उल्लेख है कि रानी सोनी ने लोगों को भयभीत करने के उद्देश्य से हवाई फायर किया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2), 125, 296(बी), 351(3) एवं 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. कन्नौद ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौम्या जैन ने बताया कि हवाई फायर में प्रयुक्त हथियार की वैधता की जांच की जा रही है तथा तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल सतवास क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को सतर्कता के साथ तैनात किया गया है.

खाचरौद उपजेल से दीवार फांदकर तीन कैदी फरार

उज्जैन/खाचरौद. अपराधियों को अपराध से रोकने के लिए जेल बनाई जाती हैं ताकि वहां पर उनके आचरण में सुधार हो सके. लेकिन जेल में भी कैदी अगर किसी घटना को अंजाम दे दे तो सुधार की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है. ऐसा ही एक घटनाक्रम खाचरौद में घटित हुआ जहां पर खाचरौद उपजेल की दीवार फांद कर तीन कैदी फरार हो गए। उपजेल अधीक्षक नीमा ने बताया कि अभी जेल में मरम्मत का काम चल रहा है. इसी का फायदा उठाकर सीढ़ियों के रास्ते होकर महिला वार्ड से कैदी दीवार फांद कर फरार हो गए. समाचार लिखे जाने तक कैदियों के नाम सामने नहीं आ सके.

भेरूघाट के मोड़ पर कार पलटी, चार लोग घायल

इंदौर. इंदौर से ओंकारेश्वर जा रहे चार लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए. भेरूघाट के पास मोड़ पर उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चारों लोग घायल हो गए.

हादसा सिमरोल थाना क्षेत्र में भेरूघाट के समीप हुआ. पुलिस के मुताबिक इंदौर निवासी चार लोग बुधवार रात करीब 11 बजे कार से ओंकारेश्वर के लिए निकले थे. रास्ते में भेरूघाट के पास डबल मोड़ पर कार का संतुलन बिगड़ गया और वह पलटी खा गई. हादसे के बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही आसपास मौजूद लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया. कार पलटने के कारण सड़क पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बन गई थी. सूचना मिलने पर सिमरोल पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका. पुलिस हादसे की जांच कर रही है.

मतदाता सूची की शुद्धता के लिए
दावे अपत्ति प्रस्तुत करें
जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं

फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण-2026

- निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को किया गया।
- प्रारूप निर्वाचक नामावली voters.eci.gov.in, ceoelection.mp.gov.in एवं ECINet App पर भी उपलब्ध है। सर्वप्रथम अपना नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में जांचें।
- दावें आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि-23 दिसम्बर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक रहेगी।
- प्रत्येक कार्य दिवस में मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर उपस्थित रहेंगे।
- नाम जोड़ने, हटाने/आपत्ति करने, संशोधन के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
- नाम जोड़ने के फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- यदि राज्य से बाहर से कोई स्थानांतरित होता है तो फॉर्म-8 के साथ भी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऑफलाइन फॉर्म भरने पर BLO से पावती लेना न भूलें।
- दावे आपत्तियों का निराकरण तथा गणना पत्रक के आधार पर तैयार प्रारूप निर्वाचक नामावली की पात्रता की प्रविष्टियों की जांच के उपरांत कतिपय निर्वाचकों को नोटिस पर सुनवाई दिनांक 23.12.2025 से 14.02.2026 तक होगी।
- नोटिस तामीली के उपरांत नोटिस प्राप्तकर्ता को निर्धारित दिनांक, समय एवं नियत स्थान पर सुनवाई के लिए वांछित दस्तावेज की प्रति के साथ उपस्थित होना होगा।
- फॉर्म-6, फॉर्म-6A, फॉर्म-7, फॉर्म-8 वेबसाइट से, BLO से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन सुविधा voters.eci.gov.in, ceoelection.mp.gov.in एवं ECINet App पर उपलब्ध है।

D11174/25

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ECINET App द्वारा
- ECINET App गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड करें
- अपना मोबाइल नम्बर और प्राप्त ओटीपी डालकर रजिस्टर करें।
- Voters Services सेक्शन पर जाएं
- Voters Registration पर क्लिक करें
- फार्म-6 घोषणा पत्र (Annexure-IV) के साथ भरें।

Voters Portal द्वारा
- https://voters.eci.gov.in पर जाएं
- मोबाइल नम्बर एवं प्राप्त OTP से Signup करें।
- New Voters Registration Tab पर क्लिक करें तथा फार्म-6 एवं घोषणा (Annexure-IV) भरें।

"कोई मतदाता छूट न जाए"
अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क करें 1950

ceoelection.mp.gov.in /CEOMPElections @ceompelections /ceompelections /CEOMPSVEEP

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा जनहित में जारी

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

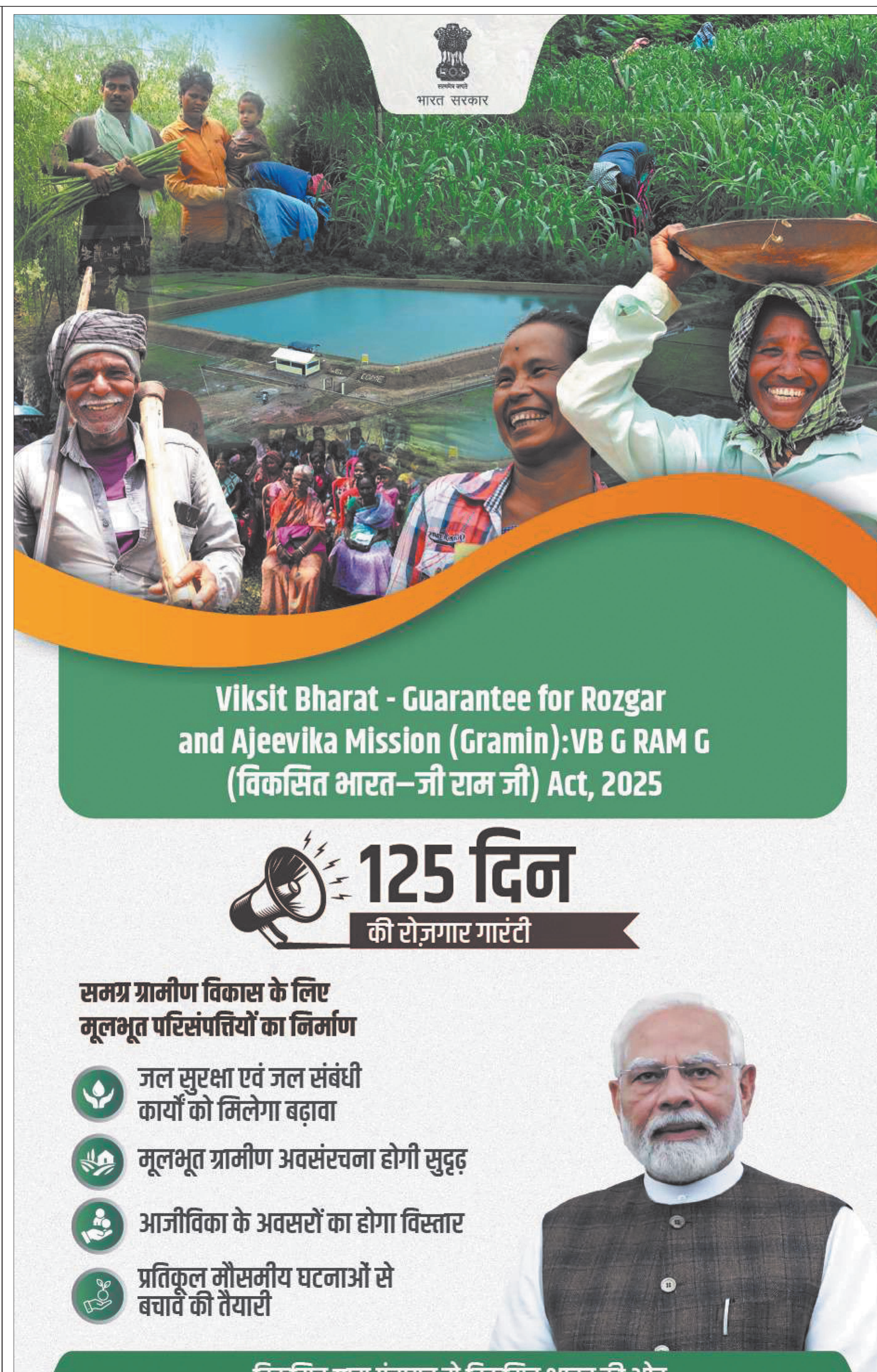

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60